



पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.10.2025 को पेश हो।

  
उपसुब्ब अधिकारी कुहमा  
जिला इन्सुब्ब (राब.)

तारीख  
हुक्म

24/9/25

शुज्जार

पदनाम  


पत्रावली पेश इसी काल कही व्यक्त  
काल कही द्वारा साधना पत्र पेश  
कर पत्रावली तलब की गई। पक्षकारण  
के मध्य आपस में रावेनामा घे  
हुका है। साधना की पछ्यान काल  
कही द्वारा की गई अतः साधना  
का साधना पत्र इसी स्तर पर विहा  
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से  
क्रम घेकर दाखिल दफतर घे।



